नं0:– 23/2022

उनवानः– लाला बनाम रामसहाय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

नं0:–23/2022

रजू दिनांकः– 16.02.2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

ला प्रजापत दत्तक पुत्र रामसहाय जाति प्रजापत निवासी चूरपुरा तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. रामसहाय पुत्र चिम्मन जाति प्रजापत निवासी चूरपुरा तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।
3. उप पंजीयक टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा सायल

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट गैरसायल न0 1

निर्णय   दिनांकः– 21.02.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम ग्राम चूरपुरा की आराजीयात ख0न0 1/0.02, 2/0.03, 3/0.01, 4/0.04, 5/0.02, 6/0.29, 20/0.05,)/0.17, 260/0.29, 261/0.16, 262/0.45, 263/0.07, 298/0.15, 299/0.29, 300/0.40, 301/0.07, 311/0.10, 2/0.29, 313/0.25, 314/0.24, 315/0.30, 316/0.21, 317/0.29, 318/0.10, 319/0.08, 320/0.23, 321/0.54, 2/0.21, 333/0.60, 335/0.28, 336/0.66, 337/0.50, 338/0.34, 341/1.50, 342/0.49, 343/0.17, 344/0.17, 5/0.29, 346/0.10, 347/0.16, 348/0.10, 349/0.37, 350/0.31, 351/0.20, 352/0.22, 353/0.20, 354/0.33, 5/2.53, 356/0.40, 357/1.42, 358/0.80, 359/0.60, 361/1.08, 362/0.31, 363/0.27, 364/0.52, 365/0.20, 5/0.50, 383/0.49, 384/0.13, 385/0.11, 386/0.11, 381/721/0.05, 338/753/0.01, 355/754/0.01,)/720/0.05, है0 मे गैरसायल न0 1, 1/225 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। 7/0.13, 8/0.30, .25, 10/0.15, 11/0.28, 12/0.20, 27/0.08, 28/0.21, 30/0.15, 32/0.25, 33/0.30, 34/0.25, 35/0.21, '0.02, 43/0.10, 44/0.04, 187/0.09, 236/0.38, 238/0.49, 239/0.43, 240/0.18, 243/0.23, 247/0.03, 3/0.03, 252/0.62, 253/0.21, 254/0.21, 277/0.03, 281/0.33, 788/17/0.04 है0 मे गैरसायल न0 1 '225 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

वर्णित आराजीयात मद न0 2 मे सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सेटलमेन्ट बिक ख0न0 105 रकवा 88 बीधा 10 बिस्वा से तथा मद न0 3 मे वर्णित आराजीयात साबिक)न0 1, 2, 14, 19, 20, 26, 27, 31, 87, 88, 91, 96, 97, 154 [illegible] अंकित किये है। सायल न0 1 कुछ न्यूसेन्स व्यक्तियो के बहकावे मे आकर [illegible] तरीके से कुछ राजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया है [illegible] 72 का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा सायल अपने हिस्से पर [illegible] प्रतिवादी न0 '4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है। [illegible] दखील है तथा सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:35 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजीतयात मे गैरसायल न0 1 की खातेदारी थी। उस हिस्से मे से सायल इस्सा 1/4 की खातेदारी मे थी। उस हिस्से मे से सायल बहिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार तथा आराजी के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता है तथा अब भी काश्त कर रहा

(सुनीता मीना)
न्यायालय ...

मुक०नं०— 23 / 2022

उनवान:— लाला बनाम रामसहाय

सायल व गैरसायल न0 1 एवं दावे के प्रतिवादी न0 71, 72 एक की कोमन की संताने है जिनका सजरा खानदार निम्न प्रकार है।

छाजू

चिम्मन — मूल्या — सुकराम

रामेत — श्रीमन — रामप्रसाद — रामसहाय — मोहरसिंह — सुगन — धप्पो — कम्पूरी

लाला — अनीता — गुड्डी

वर्णित आराजीयात सायल तथा दावे के प्रतिवादी न0 71, 72 के बडबाबा तथा रसायल न0 1 के बाबा छाजू के नाम रही है तथा छाजू की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र चिम्मन, ल्या व सुकराम के नाम विरासत आयी है तथा चिम्मन की विरासत रामेत, रामसहाय, श्रीमन, मप्रसाद, मोहरसिंह, सुगन, धप्पो , कम्पूरी के नाम आयी है, रामसहाय के एक दत्तक पुत्र सायल व ो पुत्रियां दावे की प्रतिवादी न0 71, 72 प्रत्येक बहिस्सा 1/4, 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 1 ातेदार काश्तकार है।

बॉका दिनांक 02.02.2022 को सायल अपने हिस्से की आराजी मे खडी फसल को खने आया था कि गैरसायल न0 1 आया तथा कहने लगा कि तुम फसल क्या देख रहे हो, तुमने श्त कर दी तो क्या है, इसको मे कटवाउगां इस पर सायल द्वारा गैरसायल न0 1 से कहा कि ने मे मेरे हिस्से मे फसल बुवाई है तुम क्यो काटोगे तो बोला कि खातेदारी मेरे नाम है। इसलिये मे म्हारे हिस्से से बेदखल करके काश्त करवाउंगा। इस प्रकार गैरसायल न0 1 अपनी इस कुचेष्ठा मे मयाब हो गये तथा सायल को रहन व्यय कर दिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित है। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी ी होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल न0 1 को ता ा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 1/0.02, 2/0.03, 3/0.01, 4/0.04,).02, 6/0.29, 20/0.05, 259/0.17, 260/0.29, 261/0.16, 262/0.45, 263/0.07, 298/0.15, 299/0.29,)/0.40, 301/0.07, 311/0.10, 312/0.29, 313/0.25, 314/0.24, 315/0.30, 316/0.21, 317/0.29, 3/0.10, 319/0.08, 320/0.23, 321/0.54, 322/0.21, 333/0.60, 335/0.28, 336/0.66, 337/0.50, 3/0.34, 341/1.50, 342/0.49, 343/0.17, 344/0.17, 345/0.29, 346/0.10, 347/0.16, 348/0.10,)/0.37, 350/0.31, 351/0.20, 352/0.22, [illegible] .53, 356/0.40, 357/1.42, 3/0.80, 359/0.60, 361/1.08, 362/0.31, 363/0.27, 364/ [illegible] 36[illegible]20, 366/0.50, 383/0.49, ./0.13, 385/0.11, 386/0.11, 381/721/0.05, [illegible] 54/0.01 360/720/0.05, .13, 8/0.30, 9/0.25, 10/0.15, 11/0.28, 12/0.20, 27/0.08, 28/ [illegible] 30/0.15, 32/0.25, 33/0.30, 0.25, 35/0.21, 42/0.02, 43/0.10, 44/0.04, 187/0.09, 236/0.3[illegible] 238/0.49, 239/0.43, 240/0.18, /0.23, 247/0.03, 248/0.03, 252/0.62, 253/0.21, 254/0.21, [illegible]/0.03, 281/0.33, 788/17/0.04 मे सायल के हिस्से व कब्जे की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, आराजी को रहन व्यय करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे ना किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। ायल न0 2, 3 पैराकार सरकार उपस्थित, गैरसायल न0 1 ने जरिये वकालतन जवाब पेश किया प्रार्थना पत्र के मद न0 2 मे दर्ज आराजीयात मे गैरसायल न0 1 का 2/225 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:35 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी होना स्वीकार है। मद न0 3 मे 1/15 हिस्से की खातेदारी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात से सायल का किसी प्रकार से कोई संबध नही है, ना ही सायल खातेदारी कराने का हकदार है। गैरसायल न0 1 वर्तमान मे भी खातेदार काश्तकार है। सायल का यह कहना गलत है कि सायल का वर्णित आराजीया तमे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, तथा सायल उक्त आराजी मे गैरसायल न0 1 की आराजी पर कभी भी काबिज नही रहा है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित सजरे मे सायल ने गैरसायल न0 1 का लडका होना स्वीकार नही है, बल्कि सायल रामप्रसाद का पुत्र है, जिसे गैरसायल न0 1 द्वारा कोई गोद नही लिया है तथा आज भी समस्त सरकारी रिकार्ड मे सायल के पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज है। गैरसायल न0 1 के दो पुत्री अनीता व गुड्डी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से तहरीर होने के कारण अस्वीकार है, क्योकि सायल का उक्त आराजी पर कब्जा नही है इसलिये ना तो सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति ही सायल के पक्ष मे साबित नही है बल्कि गैरसायल न0 1 के पक्ष मे साबित है। सायल का मौके पर कब्जा नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सेटलमेन्ट साबिक ख0न0 105 रकवा 88 बीघा 10 बिस्वा से तथा साबिक ख0न0 1, 2, 14, 9, 20, 26, 27, 31, 87, 88, 91, 96, 97, 154, 167 से बने है। गैरसायल न0 1 कुछ व्यक्तियो के हकावे मे आकर एकदम कुछ आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया है जबकि गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 71, 72 का 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज है तथा सायल अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील है तथा सायल 1/4 हिससे की खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है। वर्णित आराजीतयात मे गैरसायल न0 1 की खातेदारी थी। उस हिस्से मे से सायल हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है। तथा आराजी के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता है तथा अब भी काश्त कर रहा है। वर्णित आराजीयात मे सायल तथा दावे के प्रतिवादी न0 71,72 के बडबाबा तथा गैरसायल न0 1 के बाबा छाजू के नाम रही है तथा छाजू की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र चिम्मन, मूल्या व सुकराम के नाम विरासत आयी है तथा चिम्मन की विरासत रामेत, रामसहाय, श्रीमन, रामप्रसाद, मोहरसिंह, सुगन, धप्पो , कम्पूरी के नाम आयी है, रामसहाय के एक मात्तक पुत्र सायल व दो पुत्रियां दावे की प्रतिवादी न0 71, 72 प्रत्येक बहिस्सा 1/4, 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है। प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित है। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे कि वर्णित आराजीयात का रहन बेचान नही करे।

गैरसायल न0 1 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल का किसी प्रकार से कोई संबध नही है, ना ही सायल खातेदारी कराने का हकदार है। गैरसायल न0 1 वर्तमान मे भी खातेदार काश्तकार है। सायल का यह कहना गलत है कि सायल का वर्णित आराजीयात मे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, तथा सायल उक्त आराजी मे गैरसायल न0 1 की आराजी पर कभी भी काबिज नही रहा है। सायल रामसहाय का पुत्र नही है, बल्कि सायल रामप्रसाद का पुत्र है, जिसे गैरसायल न0 1 द्वारा कोई गोद नही लिया है तथा आज भी समस्त सरकारी रिकार्ड मे सायल के पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज है। गैरसायल न0 1 के दो पुत्री अनीता व गुड्डी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से तहरीर होने के कारण अस्वीकार है, क्योकि सायल का उक्त आराजी पर कब्जा नही है इसलिये ना तो सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष मे साबित नही है बल्कि गैरसायल न0 1 के पक्ष मे साबित है। सायल का मौके कब्जा नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:30:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी ग्राम चूरपुरा सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 86 मे कुल खसरा किता 30 कुल रकवा 6.11 है0 मे सायल 1/75 हिस्से मे लाला पुत्र रामप्रसाद के रूप मे दर्ज रिकार्ड है। तथा गैरसायल न0 1, 1/15 हिस्से का , तथा खाता संख्या 153 कुल किता 66 कुल रकवा 21.93 है0 मे सायल 2/1125 हिस्से का लाला पुत्र रामप्रसाद के रूप मे दर्ज रिकार्ड है। पत्रावलीयो मे दोनो खातो की जमाबन्दी मे रामप्रसाद की आराजीयात मे सायल का हिस्सा दर्ज है जबकि सायल के गोद चले जाने पर खातेदार रामप्रसाद की विरासत मे सायल को खातेदारी हक नही होना चाहिये, पत्रावली मे शामिल कार्यालय उप पंजीयक टोडाभीम मे रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 24.05.2016 के पृष्ठ संख्या 3 पर गोदग्रहिता रामसहाय ने अंकित किया है कि मेरे परणोपरान्त उक्त लाला प्रजापत मेरी चल/अचल सम्पत्ति का मालिक होगा। अर्थात मेरे जीते जी लाला का मेरी चल/अचल सम्पत्ति पर कोई हक नही होगा। तथा दावे की प्रतिवादी न0 71,72 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल द्वारा दत्तक पुत्र होने का फर्ज अदा नही किया जा रहा है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्णित आराजीयात से गैरसायल न0 1 का जीवीत होने तक कोई संबध किसी प्रकार का नही होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायल न0 1 के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः—** प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायल न0 1 के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः—** वर्णित आराजीयात ग्राम चूरपुरा मे यदि गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायल न0 1 को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय क्षति (साय)ल के पक्ष मे साबित नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य (नही) होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला—गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:35 IST
Reason: SelfAttested